न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 108/2024 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल	बनाम	गैर सायल
राजस्थान राज्य जरिये पटवारी उण्डू		गोलाबक्श पुत्र तालब खां जाति मुसलमान निवासी हरदास नगर।

"निर्णय" दिनांकः— 04.10.2024

पत्रावली आज बमुकाम भिंयाड़ में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उण्डू ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा हरदास नगर के खसरा नं. 657,967/658 रकबा 29.07 बीघा में से 08.00 बीघा किस्म बा.दोयम, गै.मु.मगरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण /कब्जा /काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 48/— पूर्णाक में अक्षरे अड़तालीस रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत एवं हल्का पटवारी —को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमी से जुर्माना वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही करते हुए भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 04.10..2024 को सरेआम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार भिंयाड

न्यायालय उप तहसीलदार भियाड़

Scanned with OKEN Scanner